From: consam.ceo@consammail.com <consam.ceo@consammail.com>
Sent: Thursday, November 5, 2026 10:05 PM
To: 'info@consam.in' <info@consam.in>
Subject: [ref # CIL-OUTLET-CEO.26.219.01] भविष्य-निधि अंशदान नीति में संशोधन - सीमा ₹25,000 निर्धारित

कार्यालय आदेश # CIL-OUTLET-CEO.26.219.01

सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि Clause: 07/005/02 of CONSAM Constitution की धारा 2.7 (भविष्य-निधि देय) में संशोधन करते हुए PF अंशदान की मूल वेतन एवं महँगाई भत्ता की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दी गई है.

तदनुसार, उप-धारा 2.7.1 से 2.7.5 तक संशोधित की गई हैं, जबकि उप-धारा 2.7.6 पूर्ववत रहेगी —संदर्भ के लिए → पूर्व की सम्पूर्ण Contents हम 🖇 AAA8191 व संशोधित Contents हम 🖇 AAA8192 पर देख सकते हैं.

सभी संबंधित विभाग इस संशोधन का संज्ञान लें तथा HR/Payroll रिकॉर्ड एवं सिस्टम में आवश्यक बदलाव सुनिश्चित करें.

संशोधित प्रावधान स्वीकृति आदेश में निर्धारित प्रभावी तिथि से लागू होंगे.

आदेशानुसार,
CONSAM Group